शासनादेश सं० - 3208/14, दि० - 23-8-1955 द्वारा —

उत्तर प्रदेश गजट, २३ अगस्त, १९५५

अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित फोरेस्ट एसोसिएशन अधिकारी को उक्त ऐक्ट के अधीन कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग के सम्बन्ध उल्लिखित जिले में प्रयोग करने के लिए अधिकृत करते हैं अब तक कि वे फोरेस्ट लेंड एसोसिएशन अफसर के पद पर नियुक्त रहें :—

क्रम-सं०	अधिकारी का नाम	जिला
1	श्री अमरेन्द्र प्रताप	बनारस।
2	" विजय कुमार सिंह	फैजाबाद।
3	" हरिश्चन्द्र	झांसी।
4	" दामोदर वर्मा	गोरखपुर।

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ५६२१/१-४—२०१-५४—सं० एसोसिएशन एक्ट, १८९४ (एक्ट संख्या १, १८९४) की धारा 1 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय श्री कन्हैया सागर त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर, बस्ती को उक्त एक्ट के अधीन निम्न बस्ती में कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करते हैं।

संरक्षित वन घोषित

विविध

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ११०८/१४—उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का यह मत है कि इंडियन फारेस्ट एक्ट, १९२७ (५४ सन् धारा २६ की उपधारा (१) के अधीन अपेक्षित जांच करने और अभिलेख तैयार करने में इतना अधिक समय लगेगा कि उस सरकार के अधिकारों के बाधित होने की आशंका है।

अतएव अब वह उपर्युक्त उपधारा के प्रतिबन्धात्मक खंड द्वारा तथा उपर्युक्त एक्ट की धारा २०-ए के साथ पठित उक्त उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके ऐसी जांच होने और अभिलेख तैयार होने तक उक्त एक्ट के सेक्टर ४ के निम्न सूचीबद्ध विशिष्ट भूमि पर स्थाई प्रतिबन्ध प्रख्यापित करते हैं।

अनुसूची

क्रम-संख्या	जिला	सड़क की लम्बाई मील में	
1	कानपुर	मी० ४०	फी० ०
2	कानपुर	४४	०
3	कानपुर	३७	०
4	कानपुर	५४	०
5	लखनऊ और उन्नाव	४६	६४०
6	लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली	१५२	०
7	लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़	१०८	०
8	लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़	८५	६३१०

प्रमाणित प्र